जमाबंदी प्रतिलिपी

न्यायालय सहायक कलक्टर कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– गगांधर मीणा (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
202/2007	19.07.2007	03.03.2022

उनवान

1. मामचन्द पुत्र श्री नानगा जाति धानका ग्राम कोटकासिम (फोत)
1/1 बिमला देवी पत्नी मामचन्द
1/2 धर्मसिंह
1/3 टेकचन्द
1/4 योगेश
1/5 राजेश पुत्रान श्री मामचन्द
1/6 सविता
1/7 बबली
1/8 कविता
1/9 बबीता पुत्रीयान मामचन्द जाति धानका ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–: वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0।

..... प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 03.03.2022

उपस्थिति :–
1– श्री रामफल यादव, वकील वादी

मिन वादीगण वाद निम्न प्रस्तुत है :–
आराजी हाल खसरा नम्बर 440/1–16, 441/4–14, 45/0.19 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम जिला अलवर राज0 में स्थित है जो कि इस वाद पत्र में विवादित आराजी कहलावेगी। आराजी मुतादाविया वादी के बुजुर्गान की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर बतौर खातेदार काबिल होकर काश्त कर रहा हूँ तथा राजस्व रिकोर्डस में खातेदारी का अमल है। मिन वादी के पिता की जाति धानका दर्ज राजस्व रिकोर्ड थी जिसका अमल सम्वत 2016 की जमाबन्दी व सम्वत 2029 के जमाबन्दी में स्पष्ट तोर पर लिखा हुआ है लेकिन इसके बाद राजस्व कर्मचारियो ने सहवन से मिन वादी की जाति धानका के स्थान पर धानक लिख दिया जो कि खिलाफ मौका, खिलाफ कानून किया गया है। जबकी मिन

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

वादी के बुर्जगान असल में जाति से धानका थे अब भी मिन वादी व परिवार जाति से धानका ही है। इसी हैसियत से आराजी पर काबिज है। विवादित आराजी में मूल काश्तकार मिन वादी के पिता जाति धानका था यह आराजी मिन वादी के विरास्त में प्राप्त हुई है जिससे कि राजस्व कर्मचारियो ने भूलवश धानका शब्द की बजाय धानक लिख दिया। पटवारी हल्का व तहसीलदार कार्यालय की जॉच के मुताबिक भी यही पाया गया है कि मिन वादी के पिता की जाति राजस्व व रिकोर्डस में मुताबिक धानका ही है इसलिए हाल जाति का इन्द्राज पूर्व रिकोर्ड आफॅ राईटस के विपरित किया हुआ है। इस गलत अमल के कारण मिन वादी व परिवार के सदस्यो के जाति प्रमाण पत्र आदि कार्यवाहियो में परेशानियो का सामना करना पड रहा है। जिसके कारण मिन वादी के हितो पर कुठाराधात होता है। इसलिए मिन वादी सम्वत 2029 की व पूर्व जमाबन्दीयो के मुताबिक जाति धानका घोषित कराकर राजस्व रिकोर्ड में अमल कराने का अधिकारी हू। इसलिए मिन वादी के इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज का वाद पत्र पेश करना लाजिम आया है। मिन वादी के इस गलत इन्द्राज की बाबत कोई किसी प्रकार का ज्ञान नही था दिनांक 03.06.07 को जब अपने बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनवाने गया तब पटवारी हल्का ने बतलाया कि आप की जाति राजस्व रिकोर्ड में धानक दर्ज है जिस पर नकुलात राजस्व रिकोर्ड ली गई व अपने वकीज साहब से राय ली तब इस गत इन्द्राजात की शुद्वि कराने के लिए इश्तकरारहक मय दुरूस्तद इन्द्रात का वाद पत्र पेश करना लाजिम आया है वेसे भी दुरूस्ती के व इश्तरारहके के वाद में कोई समय सीमा नही होती है। वाद इसलिए वाद अन्दर मियाद है।

वादी के द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि मिन वादी जमाबन्दी सम्वत 2016 व सम्वत 2029 के मुताबि जाति से धानका है तथा इसी कदर ता हाल राजस्व रिकोर्डस में मिन वादी की जाति धानका अमल कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी करवाए जाने के बाद प्रतिवादी उपस्थित आये जबाब पेश किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–2 हाल जमाबन्दी सम्वत 2059–62, प्रदर्श–3 जमबान्दी सम्वत 2029, प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2020, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2020, प्रदर्श–6 जमाबन्दी सम्वत 2034, प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत 2016, प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत 2016, प्रदर्श–9 मिलान क्षेत्रफल पेश किये। जो शामिल मिसल है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के तथ्यों को दौहराते हुये विवादित आराजी में उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किये जाने पर वादीगण अपना वाद पत्र को सुसगत दस्तावेजात के माध्यम से सिद्व किये जाने में विफल होने के कारण वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य नही पाता है।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

—:: निर्णय ::—

अतः उपरोक्तानुसार वादीगण द्वारा अपने वाद को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित नहीं कर पाने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
सहायक कलक्टर
कोटकासिम (अलवर) राज0

न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटकासिम (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :- गंगाधर मीणा (R.A.S.)

वाद संख्या 202/2007 | दर्ज दिनांक 16.07.2007 | निर्णय दिनांक 03.03.2022

[illegible]

1. मामचन्द पुत्र श्री नथ्था जाति ब्राह्मण ग्राम कोटकासिम (फौत)
1/1 विमला देवी पत्नी मामचन्द
1/2 हरीसिंह
1/3 टेकचन्द
1/4 योगेश
1/5 राजेश पुत्रान श्री मामचन्द
1/6 सविता
1/7 बबली
1/8 कविता
1/9 [illegible] पुत्रीयान मामचन्द जाति ब्राह्मण ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम
कोटकासिम जिला अलवर राज0।

-: वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये मुख्तियार अधिकारी (लैण्ड होल्डर्स) तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0।

———— प्रतिवादी

वाद घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: फर्द डिक्री :-

वादीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 03.03.2022 को गंगाधर मीणा सहायक कलेक्टर, कोटकासिम के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

वादीगण द्वारा अपना वाद को सुसंगत दस्तावेजात के माध्यम से साबित नहीं कर पाने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

यह अन्तिम निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम जिला अलवर राज0